*समक्ष: अमरजीत चौधरी, माननीय न्यायमूर्ति*

के. एल. शर्मा और अन्य, याचिकाकर्ता,

*बनाम*

हरियाणा राज्य और अन्य -उत्तरदाता।

*1989 की सिविल रिट* याचिका *संख्या* 6531।
19 सितंबर 1990.

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 14, 16, 226—अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955-नियम 20-बी-हरियाणा सरकार ने छुट्टी नकदीकरण की अधिकतम सीमा 180 दिनों से बढ़ाकर 240 दिन कर दी-1 जुलाई, 1986 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ नहीं दिया गया-ऐसी कार्रवाई- क्या यह भेदभावपूर्ण है?

*यह* अभिनिर्धारित किया गया कि सभी याचिकाकर्ता, सेवानिवृत्ति की तारीखों अलग होने की बावजूद, छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद लाभ के साथ महगाई भत्ता के हकदार हैं, जिसमें सेवानिवृत्ति की तारीख को अपने क्रेडिट पर अर्जित छुट्टी की अवधि भी शामिल है, जो अधिकतम 240 दिनों तक हो सकती है और जिस निर्णय के अनुसार छुट्टी नकदीकरण का लाभ क्रमश : 30 सितंबर 1977 और 1 अगस्त 1986 तारीख को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा को असंवैधानिक होने के कारण रद्द कर दिया जाता है। प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं को उनके क्रेडिट पर अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख को लागू दरों पर छुट्टी वेतन (छुट्टी वेतन पर उनके लिए स्वीकार्य महँगाई भत्ते सहित) के बराबर नकद का भुगतान करें, बशर्ते कि रिट याचिका दायर करने की तारीख से लेकर प्राप्ति तक अधिकतम 240 दिनों के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ भुगतान किया जाये।

(पैरा 9,10)

*भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका यह प्रार्थना करती है कि इस* माननीय *न्यायालय द्वारा* —

***(i)*** सर्टिओरीरी रिट की प्रकृति में एक रिट जारी की जाये जिसमें हरियाणा राज्य के निर्णयों, अनुलग्नकों 'पी/1 और 'पी/2' से संबंधित उत्तरदाताओं के रिकॉर्ड मंगाए जाएं, क्योंकि ये केवल उन्हीं व्यक्तियों को अप्रयुक्त

छुट्टी के बदले में नकद भुगतान की अनुमति देते हैं जो 30 तारीख सितंबर, 1977 या 1 जुलाई, 1986 या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए और उसके अवलोकन के बाद तारीखें तय करने वाले विवादित निर्णय को रद्द किया जाए;

*(ii) एक परमादेश रिट जारी की जाये जिसमें उत्तरदाताओं को 240 दिनों के अप्रयुक्त अर्जित अवकाश के बदले प्रत्येक भुगतान याचिकाकर्ताओं को वास्तविक भुगतान की तारीख से 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ वितरित करने का आदेश दिया जाए ।*

*(iii) इस रिट याचिका के मुख्य भाग में उल्लिखित परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझा जाने वाला कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाये।*

*(iv) रिट याचिका के अनुलग्नक के रूप में संलग्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने से छूट दी जाए।*

*(v) याचिकाकर्ताओं को इस रिट याचिका की लागत दिलायी जाये।*

याचिकाकर्ताओं की ओर से *अधिवक्ता श्री एम. एल. पुरी।*

प्रतिवादी राज्य की ओर *से अधिवक्ता श्री एस एस दलाल।*

निर्णय

*अमरजीत चौधरी, माननीय न्यायमूर्ति*

**(1)** पार्टियों के वकीलों ने तर्क दिया कि सभी रिट याचिकाओं , 1988 की संख्या 10507 पृथ्वी राज कुमार बनाम पंजाब राज्य, 1989 की 1946 - किदार नाथ बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 1990 की संख्या 1575, डॉ. एस. के. शर्मा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 1990 की संख्या 4951,के के जागीरा बनाम हरियाणा राज्य और 1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 9428, गुरदीप सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य में कानून और तथ्यों के संबंधित प्रश्न लगभग एक समान हैं और

इसलिए उनका निपटारा एक सामान्य निर्णय द्वारा किया जाना चाहिए। इसलिए, मैं इसे एक सामान्य निर्णय द्वारा निपटाने का प्रस्ताव करता हूं। निर्णय के प्रयोजन के लिए, तथ्यों को 1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 6531 से लिया गया है।

**(2)** वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा सरकार के 18 फरवरी, 1978 और 29 अप्रैल, 1989 के पत्रों, क्रमशः अनुलग्नक पी-1 और पी-2 में निहित निर्णयों के विवादित हिस्सों को रद्द करने की मांग की है और एक आदेश जारी करने की प्रार्थना की है जिसमे उत्तरदाताओं को अप्रयुक्त अर्जित अवकाश के बदले में 240 दिनों के लिए नकद भुगतान देने का निर्देश, संचय की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया जाये।

**(3)** इस मामले के तथ्य यह बताते हैं कि याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं जो विभिन्न तिथियों पर सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुए हैं जो नीचे दिए गए हैंः—

| याचितकर्ता की संख्या | सेवानिवृति की तिथि |
|---|---|
| **याचिकाकर्ता संख्या 1** | 30सितंबर, 1976 |
| **याचिकाकर्ता संख्या 2** | 31 जुलाई, 1982 |
| **याचिकाकर्ता संख्या 3** | 30अप्रैल, 1973 |
| **याचिकाकर्ता संख्या 4** | 31 अगस्त, 1982 |
| **याचिकाकर्ता संख्या 5** | 30सितंबर, 1982 |
| **याचिकाकर्ता संख्या 6** | 30जून, 1986 |
| **याचिकाकर्ता संख्या 7** | 30नवंबर, 1982 |
| **याचिकाकर्ता संख्या 8** | 19अप्रैल, 1973 |
| **याचिकाकर्ता संख्या 9** | 30अप्रैल, 1982 |
| **याचिकाकर्ता संख्या 10** | 31 अगस्त, 1982 |
| **याचिकाकर्ता संख्या 11** | 31 जुलाई, 1976 |
| **याचिकाकर्ता संख्या 12** | 31 मार्च, 1982 |
| **याचिकाकर्ता संख्या 13** | 30 सितंबर, 1982 |
| **याचिकाकर्ता संख्या 14** | 29 फरवरी, 1982 |
| **याचिकाकर्ता संख्या 15** | 31 अगस्त, 1981 |

**(4)** हरियाणा सरकार ने अपने दिनांक 18 फरवरी, 1978 के परिपत्र पत्र द्वारा यह निर्णय लिया था कि 31 जनवरी, 1978 को या उसके बाद सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त होने वाले हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को उनके अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में अवकाश वेतन के बराबर नकद भुगतान किया जाएगा। इस निर्णय के अनुसार अवकाश वेतन के बराबर नकद भुगतान को अधिकतम 180 दिनों की अर्जित छुट्टी तक सीमित कर दिया गया।। इसके बाद, हरियाणा सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 29 अप्रैल, 1987 (अनुलग्नक पी-2) के माध्यम से 180 दिनों की सीमा को बढ़ाकर 240 दिन कर दिया गया। यह निर्णय 1 जुलाई, 1986 से लागू था और 240 दिनों तक की

छुट्टी नकदीकरण का लाभ उन कर्मचारियों को दिया जाना था जो 1 जुलाई, 1986 या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले थे। इस पत्राचार के मद्देनजर, याचिकाकर्ता संख्या 1, 8 और 12 को छोड़कर, सभी याचिकाकर्ताओं ने 180 दिनों तक छुट्टी नकदीकरण का लाभ उठाया, हालांकि रिट याचिका में कहा गया है, अप्रयुक्त अर्जित छुट्टी सेवानिवृत्ति के समय उनका क्रेडिट 180 दिन से अधिक हो गया।

**(5)** याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि वे अनुबंध पी-2 में निहित निर्णय के अनुसार 240 दिनों की अधिकतम सीमा तक अवकाश नकदीकरण का लाभ पाने के हकदार हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि इस आधार पर इस लाभ से इनकार करना कि वे 30 सितंबर, 1977 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, पूरी तरह से मनमाना, तर्कहीन और भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। विधवान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि अनुबंध पी-1 और पी-2 में निहित निर्णयों ने सेवानिवृत्त लोगों के सजातीय वर्ग को दो श्रेणियों में विभाजित किया है। इस तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने डी.एस. नाकरा बनाम भारत संघ (1), और आर.पी. खोसला, पूर्व न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ बनाम भारत संघ और अन्य (2) का सहारा लिया। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने मेरा ध्यान अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 के नियम 20-बी की ओर भी आकर्षित किया है, जो अवकाश वेतन के बराबर नकद भुगतान प्रदान करने के संबंध में है और यह दृढ़ता से आग्रह किया गया था कि आर.पी. खोसला (सुप्रा) के मामले में यह इस न्यायालय द्वारा माना गया था कि 30 सितंबर, 1977 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण के लाभ की पात्रता के संबंध में सेवानिवृत्ति की तारीख का कोई संबंध नहीं था और याचिकाकर्ता को अवकाश वेतन (महंगाई भत्ते सहित) के बराबर नकद भुगतान का हकदार माना गया था जिसमें उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख पर उनके खाते में अधिकतम 180 दिनों की अवधि के संबंध में है।

**(6)** वहीं दूसरी तरफ़, हरियाणा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, श्री एस.एस. दलाई ने तर्क दिया है कि चूंकि 13 फरवरी, 1978 के पत्र में यह प्रावधान था कि हरियाणा सरकार के कर्मचारी, जो 31 जनवरी, 1978 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए थे। (बाद में 27 फरवरी, 1979 के पत्र द्वारा उन व्यक्तियों पर लागू किया गया, जो 30 सितंबर, 1977 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए,), इसके हकदार हैं। अवकाश नकदीकरण का लाभ, याचिकाकर्ता संख्या 1, 8 और 11 इस लाभ का लाभ नहीं उठा सके क्योंकि वे निर्धारित तिथि यानी 30 सितंबर, 1977 से पहले

सेवानिवृत्त हो गए थे, और इस तरह लगभग 11 वर्ष का अंतराल के बाद वे सरकार के उक्त निर्णय के खिलाफ आवेदन करने से वंचित हो गए। आगे यह दलील दी गई कि हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को अप्रयुक्त-अर्जित अवकाश के बदले छुट्टी नकदीकरण देने के लिए अनुबंध पी-1 और पी-2 में शामिल निर्णय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयों पर आधारित हैं। हरियाणा सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और याचिकाकर्ताओं को दी गई रियायतों का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है। यह भी तर्क दिया गया कि जैसा कि आरोप लगाया गया है, कोई भेदभाव नहीं किया गया है। यह भी आग्रह किया गया कि श्री आर. पी. खोसला (सुप्रा) का मामला मौजूदा मामले के तथ्यों से काफी भिन्न है और उसमें लिए गए निर्णय का कारण उन पर लागू नहीं होता है।

**(7)** मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों पर विचार किया है और सभी काग़ज़ात का अध्ययन किया है।

**(8)** शुरुआत में ही यह उल्लेख किया जा सकता है कि अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की छुट्टी आदि से संबंधित मामलों के लिए एक प्रावधान करता है।नियम 20-बी, जिसमें छुट्टी वेतन के बराबर नकद भुगतान की परिकल्पना की गई है, निम्नानुसार हैः—

**(1)** सरकार अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 16 के उप-नियम (i) के तहत सेवा के किसी सदस्य के लिए स्वतः ही मंजूरी देगी, जिसकी आयु 30 सितंबर, 1977 को या उसके बाद 58 वर्ष हो गई है।

**(2)** उपरोक्त उप-नियम (1) के तहत सेवा के किसी सदस्य को देय छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद में सेवानिवृत्ति की तारीख को लागू दरों पर छुट्टी वेतन पर उसे स्वीकार्य महँगाई भत्ता भी शामिल होगा और इसका भुगतान एक बार के निपटान के रूप में एकमुश्त किया जाएगा।

**(3)** इस नियम के तहत छुट्टी वेतन के बराबर नकद राशि की गणना में शहर का मुआवज़ा भत्ता और घर का किराया भत्ता शामिल नहीं किया जाएगा।

**(4)** इस प्रकार निर्धारित नकद समतुल्य से पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के समतुल्य पेंशन के कारण कोई कटौती नहीं की जाएगी।

**(5)** सेवा का कोई सदस्य जो निलंबन के दौरान अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु

प्राप्त करने पर सेवा  से सेवानिवृत्त होता है, उसे अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख को अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में उपरोक्त उप-नियम (1) के तहत छुट्टी वेतन के बराबर नकद भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि बहाली का आदेश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी की राय में सेवा का सदस्य को पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया गया है और निलंबन पूरी तरह से अनुचित हो.

इस नियम को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 31 जनवरी, 1978 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ देने की अनुमति देने वाले हरियाणा सरकार के अनुलंग्नक  पी-1 में निहित निर्णय समान है। अनुलग्नक पी-2 हरियाणा सरकार का एक बाद का निर्णय है जिसके तहत अवकाश नकदीकरण की अधिकतम सीमा 180 दिनों से बढ़ाकर 240 दिन कर दी गई थी। उक्त निर्णय 1 जुलाई, 1986 से लागू किया गया था और 1 जुलाई, 1986 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी अधिकतम 240 दिनों की छुट्टी नकदीकरण के लाभ के हकदार थे हैं। 29 अप्रैल, 1987 के परिपत्र पत्र (अनुलग्नक पी2) में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि इस लाभ के अनुदान के लिए मौजूदा नियमों और शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा।जबकि  भारत संघ बनाम गुरनाम सिंह (3) में सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एसएलपी को खारिज करते हुए कहा था कि पेंशन प्राप्त करने का अधिकार, हालांकि सेवानिवृत्ति पर अर्जित होता है, तब भी वो सेवा की एक शर्त है, इसलिए तारीख पर अर्जित अप्रयुक्त छुट्टी की अवधि के लिए छुट्टी वेतन के बराबर नकद भुगतान का अधिकार भी है। सेवानिवृत्ति को सेवा की शर्त माना जाना चाहिए।

**(9)** आर. पी. खोलसा (सुप्रा) में, याचिकाकर्ता 29 मार्च, 1967 को इस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने 20 मार्च, 1986 के पत्र में निहित निर्णय ,जिसे 1 अप्रैल, 1986 से भावी रूप से प्रभावी किया गया था, के मद्देनजर छुट्टी नकदीकरण के लाभ का दावा किया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। उपरोक्त पत्र का खंड 4, जिसमें लिखा है; "यह निर्णय 1 अप्रैल, 1986 से प्रभावी होगा" को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और रद्द कर दिया गया। याचिकाकर्ता को नकद भुगतान का हकदार माना गया था।अधिकतम 180 दिनों के हिसाब से , उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख पर उसके खाते में जमा अवधि के संबंध में उसे छुट्टी वेतन पर स्वीकार्य भत्ता सहित छुट्टी वेतन के बराबर देने का आदेश दिया गया था । उसमें विशेष रूप से कहा गया था कि याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की तारीख का इस सुविधा प्राप्त करने के उसके अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रिट याचिका को

स्वीकार करते समय, यह निम्नानुसार देखा गया: -

> "पेंशन जैसे सेवानिवृत्ति लाभों की सुविधा के लिए, सेवानिवृत्त न्यायाधीश एक सजातीय वर्ग बनाते हैं।सेवानिवृत्ति की तारीख जैसी आकस्मिक परिस्थिति के आधार पर उन्हें दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। अवकाश नियमों के नियम 20-बी के तहत प्रदान किया जाने वाला लाभ तर्कसंगत और वैध रूप से केवल उन न्यायाधीशों तक ही सीमित नहीं हो सकता जो 30 सितंबर, 1977 के बाद सेवानिवृत्त हुए।इस लाभ को उन न्यायाधीशों से नहीं रोका जा सकता है जो इस तारीख से पहले सेवानिवृत्त हुए थे।इस तरह के व्यवहार से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की अवहेलना होगी जो समान रूप से स्थित और एक ही वर्ग से संबंधित व्यक्तियों के बीच किसी भी व्यक्तिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता है।

इस न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष वस्तुतः डी. एस. नाकरा (उपरोक्त) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित थे, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि पेंशनभोगी एक सजातीय वर्ग बनाते हैं और सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर उनका वर्गीकरण मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था।इस दृष्टिकोण का विस्तार करते हुए, उनके अधिपतियों ने इसे पूर्ववत के रूप में देखाः:—

> ".....जहां सभी प्रासंगिक विचार समान हैं, समान पद रखने वाले व्यक्तियों के साथ उनके वेतन के मामले में केवल इसलिए अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे अलग-अलग विभागों से संबंधित हैं। यदि वे सेवा में रहते हुए ऐसा नहीं कर सकते, तो क्या यह उनकी सेवानिवृत्ति के दौरान किया जा सकता है। इस सिद्धांत का विस्तार करते हुए, यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि यदि पेंशनभोगी एक वर्ग बनाते हैं, तो उनकी गणना अलग-अलग फॉर्मूले से नहीं की जा सकती है, केवल इस आधार पर असमान व्यवहार किया जा सकता है कि कुछ पहले सेवानिवृत्त हो गए और कुछ बाद में सेवानिवृत्त हो गए"

**(10)** उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख पर लागू दरों पर अवकाश वेतन (अवकाश वेतन पर उन्हें स्वीकार्य महंगाई भत्ता सहित) के बराबर नकद भुगतान करें। उनके खाते में अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में, जो अधिकतम 240 दिनों के अधीन है और रिट याचिका दायर करने की तारीख से वसूली तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष के साथ भुगतान करे । फैसले की प्रति प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर यह निर्णय लागू किया जाए। ख़र्चा संबंधित कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

**अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।**

**वीरेंद्र कुमार**
**प्रीक्षिशु न्यायिक अधिकारी**